संयुक्त निरीक्षण आख्या

क्षतिपूरक

आज दिनांक 3.10.2018 को भरवाकाटल-मोटर मार्ग के वन भूमि के बदले दुगने अवनत/सिविल सोयम भूमि जिला- टिहरी गढ़वाल अन्तर्गत पट्टी- सकलाना, तहसील- धनौल्टी, ग्राम- लवार्खा मध्ये तिमलीखोला के खसरा नम्बर 2028 - 2.372, 2034 मि0 - 1.517 2163 - 2.111 हे0 कुल भूमि 6.000 हे0 का पुनः संयुक्त निरीक्षण/सर्वेक्षण किया गया, जिसमें राजस्व विभाग से श्री नरेश उनियाल रा0 उ0 नि0 लवार्खा, वन विभाग से श्री प्रेम प्रकाश पुरोहित वन दरोगा/अनुभाग अधि0, कांडल अनुभाग-2, कुमालडा, एवं लो0 नि0वि0 से श्री अनुराग त्रिपाठी कनिष्ठ अभियन्ता तथा श्री जगदीश दास ग्राम-प्रधान भरवाकाटल उपस्थित रहे, प्रस्तावित भूमि के पुनः संयुक्त निरीक्षण/सर्वेक्षण में यह पाया गया कि प्रस्तावित भूमि (क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु) के आंशिक भाग में कुछ वृक्ष हैं तथा अधिकांश भाग में झाडियां स्थित हैं जो कि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त है।

अतः संयुक्त निरीक्षण आख्या आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

(हस्ताक्षर)
रा0 उ0 नि0
लवार्खा
तह0 - धनौल्टी
टि0ग0।

(हस्ताक्षर)
वन दरोगा/
अनुभाग अधि0
कांडल अनुभाग-2
कुमालडा

Anurag
कनिष्ठ अभियन्ता
लो0 नि0 वि0
थत्यूड टि0ग0।

(मोहर: प्रधान ग्राम पंचायत भरवाकाटल, वि0ख0 जौनपुर टिहरी गढ़वाल)
प्रधान
ग्राम पंचायत
भरवाकाटल

नकल खतौनी ज० वि० ए० ग्राम-लवाल्टी, पट्टी-सकलाना, तहसील - धनौल्टी, जिला-टिहरी गढ़वाल।
1425 फ० से 1430 फ० तक
कृषि योग्य बंजर भूमि-

खातेदार मालगुजार	फसली दर्ज	खसरा नम्बर	रकबा हे०	लगान रू० पै०	विवरण
उत्तराखण्ड सरकार दे (ऊ) ड़.	हाल बन्दोबस्त से पूर्व	27	0.812	—	1427 फ० आदेश श्रीमान जिलाधिकारी महोदय टिहरी गढ़वाल के आदेश सं०-1033/x1-115 (2018-19) दि० नई टिहरी सितम्बर 27, 2019 (एवं शासनादेश सं०-2173/XVIII(II)/2012-18(120)/2010 राजस्व अनुभाग-2 दि० 17 दिसम्बर 2012) के अनुपालन में ग्राम-लवाल्टी के ज० वि० ए० खतौनी खाता सं०-10 में खसरा नं० 2028/2.372, 2034 म०/1.517, 2163/2.111 हे० कुल 6.000 हे० भूमि वन विभाग उत्तराखण्ड के पक्ष में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु अभिलेख दर्ज किया।
		52	1.457		
		53	0.212		
		89	0.015		
		103	0.040		
		113	0.043		
		133	0.073		
		2013	1.352		ह० रा० उ० नि० लवाल्टी
		2016	0.576		
		2028	2.372		
		2034	1.908		
		2044	1.554		
		2093	0.046		
		2118	1.123		
		2163	2.111		
		2164	0.773		
		2752	1.156		
		1323/2763	1.214		
		893/2764	1.288		
		1344/2765	0.038		

सम्पूर्ण योग - 210 - 53.448 - XX

मुताबिक असल के नकल तैयार की।

ह० 3/10/19
रा० उ० नि० लवाल्टी

तहसीलदार घनोल्टी

8- तहसीलदार घनोल्टी।

ह० आर० के० (D)
ह० आ० को०
जिला अधिकारी टिहरी गढ़वाल।

ह० आर० को०
SDM (D)

ह० DFO 7/10/19

Scanned with CamScanner

प्रेषक–

तहसीलदार,
धनोल्टी, टिहरी गढ़वाल ।

सेवा में,

जिला अधिकारी,
टिहरी गढ़वाल ।

द्वारा– उप जिलाधिकारी, धनोल्टी, टिहरी गढ़वाल ।

संख्या– 204 /रजि0का0/क्षति0वृक्षा0/2019, दिनांक धनोल्टी अक्टूबर 18, 2019

विषय– वन विभाग उत्तराखण्ड के पक्ष में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु अन्तरित भूमि को राजस्व अभिलेखों में नामन्तरित/इन्द्राजी किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक कृपया अपने कार्यालय पत्र संख्या 1033/XI-115 (2018-19) दिनांक नई टिहरी सितम्बर 27, 2019 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। सन्दर्भित पत्र भारत सरकार पर्यावरण एवंज वायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर मध्ये क्षेत्र) 25 सुभाष रोड देहरादून के पत्र संख्या 8डी0/यू0सी0पी0/06/03/2017/एफ0सी0/2070, दिनांक 07 जनवरी 219 की शर्त संख्या 01 के अनुपालन में ब्लॉक जौनपुर के अन्तर्गत भरवकाटल के श्रीपुर मोटर मार्ग (कुल लम्बाई 5.00किमी0 के) निर्माण हेतु 2.975 हैक्टेयर वन भूमि पर गैर वानिकी कार्यों के दृष्टिगत लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के फलस्वरूप क्षतिरोपक वृक्षारोपण हेतु ग्राम ल्वार्खा तिमली सैण की 5.950 हैक्टेयर अर्थात 6.00 हैक्टेयर सिविल भूमि (उत्तराखण्ड सरकार के स्वामित्व) का हस्तान्तरण वन विभाग के पक्ष में किया जाना इस कार्यालय द्वारा प्रस्तावित की गयी है। प्रस्तावित भरकवाकाटल से श्रीपुर मोटर मार्ग (कुल लम्बाई 5.00 किमी0) मोटर मार्ग के निर्माण हेतु क्षतिपूरक वृक्षारोपण के दृष्टिगत शासनादेश संख्या –2882/XXVIII(II)/11-18(120/2010 राजस्व अनुभाग–2 दिनांक 11 नवम्बर 2011 एवं शासनादेश संख्या -2356/XVII(II)/13-18 (120/2010 टी0सी0 दिनांक 14 अक्टूबर 2013 के द्वारा प्राप्त दिशा–निर्देशानुसार प्रस्तावित वन भूमि के सापेक्ष दुगुनी सिविल सोयम भूमि वन विभाग के नाम प्रत्यावर्तित किया जाना है। यह आदेश मा0 उच्चतम न्यायालय/मा0 उच्च न्यायालय एवं उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्गत आदेशों के अधीन होगा तथा याचक विभाग को निर्गत आदेश का अनुपालन करना होगा का उल्लेख है। अतएव् शासनादेश संख्या –217/3XXVIII(II)/2012-18 /120 राजस्व अनुभाग–2 दिनांक 17 दिसम्बर 2012 के कम में उप जिलाधिकारी महोदय धनोल्टी के द्वारा प्रस्तावित किये गये खसरा नम्बरान 2028/2.372, 2034म0/1.517 व 2163/2.111 हैक्टेयर कुल रकवा 6.000 हैक्टेयर, जो कि उत्तराखण्ड सरकार के श्रेणी वर्ग 9 (3)डं के अन्तर्गत है।

उक्त सिविल भूमि को उल्लिखित शासनादेशों के आलोक में व्यापक जनहित के दृष्टिगत वन विभाग उत्तराखण्ड के पक्ष में क्षतिपूरक वृक्षारोपरण हेतु अन्तरित की गयी है। तथा इस कार्यालय को ततकाल उक्त भूमि को राजस्व अभिलेखों मेकं नामान्तरित /इन्द्राजी करने के निर्देश हैं। उक्त के अनुपालन में उक्त भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु ग्राम ल्वार्खा की वर्तमान ज0वि0र0 खतौनी फसली सन् 1425 से 1430, खतौन खाता संख्या 10 में वन विभाग उत्तराखण्ड के पक्ष में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु दर्ज अभिलेख/इन्द्राज कर दिया गया है। खतौनी खतो की नकल संलग्न रिपोर्ट के है।

अतः अनुपालन आख्या महोदय को सादर सम्प्रेषित।

संलग्नक–ज0वि0र0 खतौनी नकल ।

अपठनीय
तहसीलदार
धनोल्टी, टिहरी गढ़वाल

जिला अधिकारी महोदय, टिहरी गढ़वाल की सेवामें,
तहसीलदार धनोल्टी की अनुपालन आख्या सादर सम्प्रेषित ।

उप जिलाधिकारी
धनोल्टी, टिहरी गढ़वाल

Scanned with CamScanner

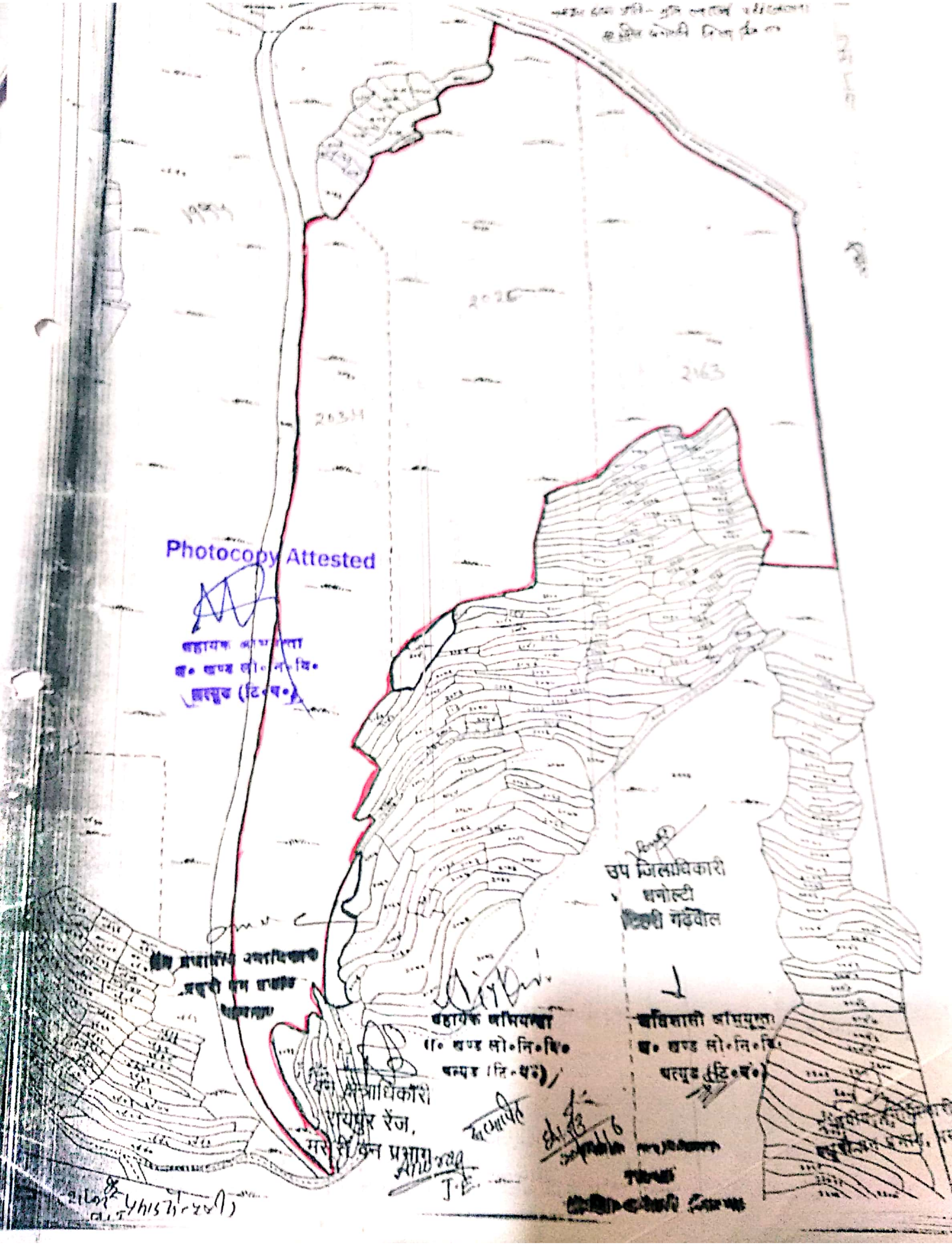

Scanned with CamScanner

::आदेश::

भारत सरकार पर्यावरण,वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर–मध्ये क्षेत्र) 25 सुभाष रोड़ देहरादून के पत्र संख्या 8बी0/यू0सी0पी0/06/03/2017 /एफ0सी0/2070 दिनांक 07 जनवरी 2019 की शर्त संख्या 01 के अनुपालन में,जौनपुर ब्लॉक के अन्तर्गत भरवाकाटल से श्रीपुर मोटर मार्ग (कुल लम्बाई 5.00 कि0मी0) के निर्माण हेतु 2.975 है0 वन भूमि पर गैर वानिकी कार्यों के दृष्टिगत लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के फलस्वरूप क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु ग्राम ल्वार्खा तिमली सैंण की 5.95 अर्थात् 6.00है0 सिविल भूमि (उत्तराखण्ड सरकार के स्वामित्व) का हस्तान्तरण वन विभाग के पक्ष में किये जाने हेतु तहसीलदार धनोल्टी के पत्रांक 191/रजि0का0/योगदान/2018 दिनांक 09 जुलाई 2019 पर उप जिलाधिकारी नरेन्द्रनगर के पृष्ठांकन दिनांक 03 जुलाई2019 के अन्तर्गत तहसील धनोल्टी की भूमि प्रस्तावित की गई है। जिसका विवरण निम्नवत् है:–

ग्राम	पट्टी	खाता संख्या	खसरा संख्या	अर्जित रक्बा(हे0में)	भूमि की किस्म
1	2	3	4	5	6
ल्वार्खा मध्ये तिमली सैंण	सकलाना	10	2028	2.372	उत्तराखण्ड सरकार श्रेणी 9(3)ड.
			2034म0	1.517	
			2163	2.111	
योग				6.000	

प्रस्तावित भरवाकाटल से श्रीपुर मोटर मार्ग (कुल लम्बाई 5.00 कि0मी0) मोटर मार्ग के निर्माण हेतु क्षतिपूरक वृक्षारोपण के दृष्टिगत शासनादेश संख्या – 2882/XVIII(II)/11–18(120)/2010 राजस्व अनुभाग–2 दिनांक 11 नवम्बर 2011 एवं शासनादेश संख्या –2365/XVIII(II)/13-18 (120)/2010 टी0सी0 दिनांक 14 अक्टूबर 2013 के द्वारा प्राप्त दिशा–निर्देशानुसार प्रस्तावित वन भूमि के सापेक्ष दुगुनी सिविल भूमि वन विभाग के नाम प्रत्यावर्तित किया जाना है। यह आदेश मा0 उच्चतम न्यायालय/मा0 उच्च न्यायालय एवं उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्गत आदेशों के अधीन होगा, तथा याचक विभाग को निर्गत आदेश का अनुपालन करना होगा।

अतएव शासनादेश संख्या 2173/XVIII(II)/2012–18(120)/2010राजस्व अनुभाग –2 दिनांक 17 दिसम्बर 2012 के क्रम में उप जिलाधिकारी धनोल्टी के द्वारा प्रस्तावित किये गये उपरोक्त खसरा नम्बरान मध्ये कुल रक्बा 6.000 (छः) हे0 सिविल भूमि उल्लिखित शासनादेशों के आलोक में व्यापक जनहित के दृष्टिगत वन विभाग उत्तराखण्ड के पक्ष में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु अन्तरित की जाती है। तहसीलदार धनोल्टी तत्काल उक्त भूमि को राजस्व अभिलेखों में नामान्तरित /इन्द्राजी करना सुनिश्चित करें।

(डा0वी0षणमुगम)
जिला अधिकारी
टिहरी गढ़वाल।

कार्यालय जिला अधिकारी टिहरी गढ़वाल।

संख्या–1033/XI–115 (2018–19)दिनांक,नई टिहरी,सितम्बर,27,2019

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–.

1– सचिव,वन विभाग उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
2– आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद देहरादून।
3– आयुक्त गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
4– नोडल अधिकारी,वन भूमि हस्तान्तरण वन विभाग उत्तराखण्ड देहरादून।
5– प्रभागीय वनाधिकारी मसूरी वन प्रभाग मसूरी।
6– अधिशासी अभियन्ता,अ0ख0 लो0नि0वि0 थत्यूड़।
7– उप जिलाधिकारी धनोल्टी।
8– तहसीलदार धनोल्टी।

जिला अधिकारी
टिहरी गढ़वाल।

Scanned with CamScanner

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0, थत्यूड़, (टिहरी गढवाल)।
E-Mail- eepwdthatyur@rediffmail.com
Phone & Fax:- 01376-246321

पत्रांक 1563/21C

दिनांक 05/11/2019

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी।

विषय :- जनपद टिहरी गढ़वाल के जौनपुर ब्लॉक के अन्तर्गत मरवाकाटल से श्रीपुर मोटर मार्ग (कुल लम्बाई 5.00 किमी0) के निर्माण हेतु 2.975 है0 वनभूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। (Online **Proposal No. FP/UK/ROAD/10527/2015)**

सन्दर्भ :- भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायू परिवर्तन मन्त्रालय के पत्र सं0 08बी/यू0सी0पी0/06/86/2017एफ0सी0/2070, दिनांक 07.01.2019।

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के कम में अवगत कराना है कि विषयांकित प्रकरण की सैद्वान्तिक स्वीकृति भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायू परिवर्तन मन्त्रालय के पत्र सं0 08बी/यू0सी0पी0/06/86/2017एफ0सी0/2070, दिनांक 07.01.2019 द्वारा प्राप्त हुई है। विधिवत स्वीकृति हेतु शर्तो की अनुपालन आख्या निम्नवत है :-

शर्त सं0 1 :- क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण भूमि का हस्तान्तरण एवं नामान्तरण वन विभाग के पक्ष में कर दिया गया है (प्रति संलग्न)

शर्त सं0 2 :- एन0पी0वी0 की निर्धारित धनराशि जमा की जा चुकी है। (प्रति संलग्न)।

शर्त सं0 3 :- शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त धनराशि जमा करने की बचनबद्धता सम्बन्धी प्रमाण पत्र। (प्रति संलग्न)।

शर्त सं0 5 :- सडक निर्माण कार्य के पूर्ण होने के पश्चात जहां-जहा संभव हो सडक के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने ब्यय पर वन विभाग की देख-रेख में Strip Plantation की वचनबद्वता सम्बन्धी प्रमाण-पत्र। (प्रति संलग्न)।

अतः आनलाईन जमा की गयी पैड रसीद तथा अन्य शर्तो की 03-03 प्रतियां आपके अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है, कि आप अपने स्तर से वनभूमि प्रस्ताव विधिवत् स्वीकृति हेतु कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

05/11/19
(इं0 रजनीश कुमार)
अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0
थत्यूड़ (टिहरी गढ़वाल)।

OC

पत्रांक :- 1563/21C

दिनांक 05/11/2019

प्रतिलिपि :- अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण इन्दिरा नगर फारेस्ट कॉलोनी उत्तराखण्ड, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

05/11/19
अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0
थत्यूड़ (टिहरी गढ़वाल)।

Scanned with CamScanner

शर्त सं0—03

शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त धनराशि जमा करने की बचनबद्धता सम्बन्धी।

प्रमाण—पत्र

विषय :— जनपद टिहरी गढ़वाल के जौनपुर ब्लॉक के अन्तर्गत भरवाकाटल से श्रीपुर मोटर मार्ग (कुल लम्बाई 5.00 किमी0) के निर्माण हेतु 2.975 है0 वनभूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। **(Online Proposal No. FP/UK/ROAD/10527/2015)**

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायू परिवर्तन मंत्रालय के पत्र सं0 08बी / यू0सी0पी0 / 06 / 86 / 2017एफ0सी0 / 2070, दिनांक 07.01.2019 में जारी सैद्वान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या 03 के अनुपालन में "शुद्ध वर्तमान मूल्य की दरों में अगर बढोत्तरी होती है तो बढी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि लोक निर्माण विभाग थत्यूड जमा कराने हेतु बचनबद्व है"।

05/11/19

सहायक अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0,
थत्यूड़ (टिहरी गढ़वाल)।

अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0,
थत्यूड़ (टिहरी गढ़वाल)।

Scanned with CamScanner

सड़क निर्माण कार्य के पूर्ण होने के पश्चात जहां–जहां सम्भव हो सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख – रेख में Strip Plantatation की वचनबद्धता सम्बन्धी

प्रमाण–पत्र

विषय :– जनपद टिहरी गढ़वाल के जौनपुर ब्लॉक के अन्तर्गत [illegible] से श्रीपुर मोटर मार्ग (कुल लम्बाई 5.00 कि0मी0) के निर्माण हेतु 2.875 है0 वनभूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। (Online Proposal No. FP/UK/ROAD/18527/2015)

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र सं0 8बी/यू0सी0पी0/06/36/2017/एफ0सी0/2070, दिनांक 07.01.2019 में जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या 05 के अनुपालन में "सड़क निर्माण कार्य के पूर्ण होने के पश्चात जहां–जहां सम्भव हो सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख – रेख में Strip Plantatation करने पर लोक निर्माण विभाग थत्यूड़ वचनबद्ध है"।

सहायक अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0,
थत्यूड़ (टिहरी गढ़वाल)।

अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0,
थत्यूड़ (टिहरी गढ़वाल)।

Scanned with CamScanner

भू–वैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाई से पालन किये जाने का प्रमाण–पत्र

विषय :– जनपद टिहरी गढ़वाल के जौनपुर ब्लॉक के अन्तर्गत भरवाकाटल से श्रीपुर मोटर मार्ग (कुल लम्बाई 5.00 किमी0) के निर्माण हेतु 2.975 है0 वनभूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। **(Online Proposal No. FP/UK/ROAD/10527/2015)**

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायू परिवर्तन मंत्रालय के पत्र सं0 08बी / यू0सी0पी0 / 06 / 86 / 2017एफ0सी0 / 2070, दिनांक 07.01.2019 में जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या 05 के अनुपालन में "भू–वैज्ञानिक के सुझावों का लोक निर्माण विभाग थत्यूड द्वारा कड़ाई से पालन किया जायेगा"।

सहायक अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0,
थत्यूड़ (टिहरी गढ़वाल)।

अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0,
थत्यूड़ (टिहरी गढ़वाल)।

Scanned with CamScanner

AGENCY COPY

Corporation Bank — A Premier Public Sector Bank

Challan for collection of Ad-hoc CAMPA fund

Date : 23-03-2019

Client Code.	CAM5089
Location.	UTTARANCHAL
Remitter Name.	PUBLIC WORKS DEPARTMENT
PIF/Application No.	6110527791
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/86/2017
Address.	E.E. Ty. Divi. P.W.D. Thatyur Tehri Garhwal Tehri Garhwal
Remitter Contact No. Email-Id. Mobile No. Landline No.	eepwdthatyur@rediffmail.com 9557823200 1376-246321
Amount(in Rs)	3626565/-
Beneficiary Branch and Code.	Corp Bank Lodhi complex (0371)

Amount in Words:Thirty-Six Lakh Twenty-Six Thousand Five Hundred and Sixty-Five Rupees Only

Depositor Signature (Signature)

Bank Official (Signature)

Bank's Transaction Number	Branch Stamp

- Branches should use CMS menu (FCS & CAPS) to process the transaction
- Challan should only be accepted against INST/DD.
- Enter the Remitter Name in Additional Information 1
- Enter the Remitter Mobile number in Additional Information 2
- This challan is valid only for seven days.

CAMPA-MOEF Copy

Corporation Bank — A Premier Public Sector Bank

Challan for collection of Ad-hoc CAMPA fund

Date : 23-03-2019

Client Code.	CAM5089
Location.	UTTARANCHAL
Remitter Name.	PUBLIC WORKS DEPARTMENT
PIF/Application No.	6110527791
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/86/2017
Address.	E.E. Ty. Divi. P.W.D. Thatyur Tehri GarhwalTehri Garhwal
Remitter Contact No. Email-Id. Mobile No. Landline No.	eepwdthatyur@rediffmail.com 9557823200 1376-246321
Amount(in Rs)	3626565/-
Beneficiary Branch and Code.	Corp Bank Lodhi complex (0371)

Amount in Words :Thirty-Six Lakh Twenty-Six Thousand Five Hundred and Sixty-Five Rupees Only

Depositor Signature (Signature)

Bank Official (Signature)

Bank's Transaction Number	Branch Stamp

- Branches should use CMS menu (FCS & CAPS) to process the transaction.
- Challan should only be accepted against INST/DD.
- Enter the Remitter Name in Additional Information 1
- Enter the Remitter Mobile number in Additional Information 2
- This challan is valid only for seven days.

Corporation Bank — A Premier Public Sector Bank

Challan for collection of Ad-hoc CAMPA fund

Date : 23-03-2019

Client Code.	CAM5089
Location.	UTTARANCHAL
Remitter Name.	PUBLIC WORKS DEPARTMENT
PIF/Application No.	6110527791
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/86/2017
Address.	E.E. Ty. Divi. P.W.D. Thatyur Tehri GarhwalTehri Garhwal
Remitter Contact No. Email-Id. Mobile No. Landline No.	eepwdthatyur@rediffmail.c 9557823200 1376-246321
Amount(in Rs)	3626565/-
Beneficiary Branch and Code.	Corp Bank Lodhi compl (0371)

Amount in Words : Thirty-Six Lakh Twenty-Six Thousar Hundred and Sixty-Five Rupees Only

Depositor Signature (Signature)

Ba (

Bank's Transaction Number	Branch Stamp

- Branches should use CMS menu (FCS & C to process the transaction.
- Challan should only be accepted against INST/DD.
- Enter the Remitter Name in Additional Information 1
- Enter the Remitter Mobile number in Additic Information 2
- This challan is valid only for seven days.

helpdeskcampa@corpbank.co.in

Scanned with CamScanner

भारतीय स्टेट बैंक
State Bank of India

Key YIKLIY
Sr No 917827

3	1	0	3	2	0	1	9
D	D	M	M	Y	Y	Y	Y

मांगड्राफ्ट
DEMAND DRAFT

को या उनके आदेश पर OR ORDER

CAMPA COMPENSATORY AFFORESTAT ION FUND MANAGEMENT**********

ON DEMAND PAY

रुपये RUPEES Thirty Six Lakh Twenty Six Thousand Five Hundred and Sixty Five Only

अदा करें ₹ 3626565.00

मूल्य प्राप्त / VALUE RECEIVED

AMOUNT BELOW 3626566(3/7)

Name of Applicant
Key YIKLIY Sr No 917827
BR PARKING A/C WITH INB-04529 SBI

भारतीय स्टेट बैंक
STATE BANK OF INDIA
अदाकर्ता शाखा / DRAWEE BRANCH:DEHRA DUN MAIN BRANCH
कोड क्र. /CODE No. 00630

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
AUTHORISED SIGNATORY

शाखा प्रबंधक
BRANCH MANAGER
आनन्द मोहन सिंह
Anand Mohan Singh

Ss No. under Circulation

₹ 1,50,000/- एवं अधिक के लिखत दो अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षरित ... INSTRUMENTS FOR ₹ 1,50,000/- & ABOVE ARE NOT VALID UNLESS SIGNED BY TWO OFFICERS

कम्प्यूटर द्वारा मुद्रित होने पर ही वैध
VALID ONLY IF COMPUTER PRINTED

केवल 3 महीने के लिए वैध
VALID FOR 3 MONTHS ONLY

⑈033076⑈ 000002000⑆ 000380⑈ 16

7/2019

AGENCY COPY

कार्पोरेशन बैंक Corporation Bank
A Premier Public Sector Bank

Challan for collection of Ad-hoc CAMPA fund

Date : 27-09-2019

Client Code.	CAM5089
Location.	UTTARANCHAL
Remitter Name.	PUBLIC WORKS DEPARTMENT
PIF/Application No.	6110527147
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/86/2017
Address.	E.E. Ty. Divi. P.W.D. Thatyur Tehri Garhwal Tehri Garhwal
Remitter Contact No. Email-Id. Mobile No. Landline No.	eepwdthatyur@rediffmail.com 9557823200 1376-246321
Amount(in Rs)	559300/-
Beneficiary Branch and Code.	Corp Bank Lodhi complex (0371)

Amount in Words:Five Lakh Fifty-Nine Thousand Three Hundred Rupees Only

Depositor Signature (Signature)

Bank Official (Signature)

Bank's Transaction Number	Branch Stamp

- Branches should use CMS menu (FCS & CAPS) to process the transaction
- Challan should only be accepted against INST/DD.
- Enter the Remitter Name in Additional Information 1
- Enter the Remitter Mobile number in Additional Information 2
- This challan is valid only for seven days.

CAMPA-MOEF Copy

कार्पोरेशन बैंक Corporation Bank
A Premier Public Sector Bank

Challan for collection of Ad-hoc CAMPA fund

Date : 27-09-2019

Client Code.	CAM5089
Location.	UTTARANCHAL
Remitter Name.	PUBLIC WORKS DEPARTMENT
PIF/Application No.	6110527147
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/86/2017
Address.	E.E. Ty. Divi. P.W.D. Thatyur Tehri GarhwalTehri Garhwal
Remitter Contact No. Email-Id. Mobile No. Landline No.	eepwdthatyur@rediffmail.com 9557823200 1376-246321
Amount(In Rs)	559300/-
Beneficiary Branch and Code.	Corp Bank Lodhi complex (0371)

Amount In Words :Five Lakh Fifty-Nine Thousand Three Hundred Rupees Only

Depositor Signature (Signature)

Bank Official (Signature)

Bank's Transaction Number	Branch Stamp

- Branches should use CMS menu (FCS & CAPS) to process the transaction.
- Challan should only be accepted against INST/DD.
- Enter the Remitter Name in Additional Information 1
- Enter the Remitter Mobile number in Additional Information 2
- This challan is valid only for seven days.

कार्पोरेशन बैंक Corporation Bank
A Premier Public Sector Bank

Challan for collection of Ad-hoc CAMPA fund

Date : 27-09-2019

Client Code.	CAM5089
Location.	UTTARANCHAL
Remitter Name.	PUBLIC WORKS DEPARTMENT
PIF/Application No.	6110527147
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/86/2017
Address.	E.E. Ty. Divi. P.W.D. Thatyur Tehri GarhwalTehri Garhwal
Remitter Contact No. Email-Id. Mobile No. Landline No.	eepwdthatyur@rediffmail.com 9557823200 1376-246321
Amount(In Rs)	559300/-
Beneficiary Branch and Code.	Corp Bank Lodhi complex (0371)

Amount In Words : Five Lakh Fifty-Nine Thousand Three Hundred Rupees Only

Depositor Signature (Signature)

Bank Official (Signature)

Bank's Transaction Number	Branch Stamp

- Branches should use CMS menu (FCS & CAPS) to process the transaction.
- Challan should only be accepted against INST/DD.
- Enter the Remitter Name in Additional Information 1
- Enter the Remitter Mobile number in Additional Information 2
- This challan is valid only for seven days.

Scanned with CamScanner

भारतीय स्टेट बैंक
State Bank of India
1376-246301

मांगड्राफ्ट
DEMAND DRAFT

Key: WUKHEN
Sr. No: 877895

2	3	1	0	2	0	1	9
D	D	M	M	Y	Y	Y	Y

मांगे जानेपर COMPENSATORY AFFORESTATION FU ND MANGMT & PLANNING ATHORITY* या उनके आदेश पर OR ORDER

ON DEMAND PAY
Five Lakh Fifty Nine Thousand Three Hundred Only

रुपये RUPEES

अदा करें ₹ 559300.00

IOI 000380033237 Key: WUKHEN Sr. No: 877895 AMOUNT BELOW 559301(5/6) मूल्य प्राप्त / VALUE RECEIVED
Name of Applicant BR PARKING A/C WITH INB-04529 SBI

भारतीय स्टेट बैंक
STATE BANK OF INDIA
अदाकर्ता शाखा / DRAWEE BRANCH:PBB VASANT VIHAR DEHRADUN(4207
कोड क्र. /CODE No: 04207

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
AUTHORISED SIGNATORY

शाखा प्रबंधक
BRANCH MANAGER

9
8
7
6
5
4
3
2
1

₹ 1,50,000/- एवं अधिक के लिखत दो अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षरित होने पर ही वैध है।
INSTRUMENTS FOR ₹ 1,50,000/- & ABOVE ARE NOT VALID UNLESS SIGNED BY TWO OFFICERS

कम्प्यूटर द्वारा मुद्रित होने पर ही वैध
VALID ONLY IF COMPUTER PRINTED

केवल 3 महीने के लिए वैध
VALID FOR 3 MONTHS ONLY

⑈033237⑈ 000002000⑆ 000380⑈ 16

Received
Anurag
23.10.19.

Scanned with CamScanner

प्रपत्र – 23

परियोजना का नाम :– जनपद टिहरी गढवाल के जौनपुर ब्लॉक के अन्तर्गत भरवाकाटल–श्रीपुर मोटर मार्ग ।

वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण – पत्र

ग्राम पंचायत का नाम :– भरवाकाटल
तहसील :– धनोल्टी, जिला टिहरी गढवाल।

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद टिहरी गढवाल के भरवाकाटल--श्रीपुर मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु 2.975 है0 आरक्षित वन भूमि 1.3125 है0 सिविल सोयम भूमि 1.662 है0 वन पंचायत भूमि 0.00 है0 अर्थात् कुल 2.975 है0 वनभूमि का लो0नि0वि0, थत्यूड के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत भरवाकाटल द्वारा दिनांक 18-5-15 को सम्पन्न उपरोक्त ग्राम पंचायतों की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वनभूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गयी। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत् वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्राम पंचायत वासीयों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वनभूमि मे किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वनभूमि पर ग्रामवासियों की परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम पंचायत द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि उपरोक्त ग्राम पंचायत के ग्रामवासियों को उक्त वनभूमि अधिशासी अभियन्ता लो0नि0वि0, थत्यूड प्रयोक्ता एजेन्सी को भरवाकाटल से श्रीपुर मोटर मार्ग निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

प्रधान ग्राम पंचायत भरवाकाटल
दि0 18-5-15
वि0खं0 जौनपुर (टिहरी गढ़वाल)

सोहन दास   दान सिंह   सोहनदास
भवान सिंह   भवानसिंह
हिरा सिंह
राम दयाल
जितेन्द्र सिंह

ग्राम प्रधान
प्रधान ग्राम पंचायत भरवाकाटल
वि0खं0 जौनपुर (टिहरी गढ़वाल)

Photocopy Attested

सहायक अभियन्ता
खण्ड लो0नि0वि0
थत्यूड (टि0ग0)

Scanned with CamScanner

परियोजना का नाम :- जनपद टिहरी गढवाल के जौनपुर ब्लॉक के अन्तर्गत भरवाकाटल--श्रीपुर मोटर मार्ग ।

कार्यालय उप जिलाधिकारी धनोल्टी

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण –पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति धनोल्टी

तहसील धनोल्टी परिक्षेत्र के अन्तर्गत भरवाकाटल से श्रीपुर मोटर मार्ग का निर्माण (2.975 है0 आरक्षित वनभूमि 1.3125 है0, सिविल सोयम भूमि 1.662 है0 कुल भूमि 2.975) का लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता ऐजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति (तहसील धनोल्टी) के 26-11-2015 दिनांक को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण :–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री , उपजिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षा में आयोजित की गई । बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है :–

1.	श्री देवानन्द शर्मा	उपजिलाधिकारी	अध्यक्ष
2.	श्री के० पी० वर्मा	उप प्रभागीय वनाधिकारी	सदस्य
3.	श्री शूर सिंह नेगी	सहायक समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य / सचिव
4.	श्रीमती मीना देवी पंवार	बी0डी0सी0 क्षेत्र पंचायत	सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उपजिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि जनपद टिहरी गढवाल के अन्तर्गत भरवाकाटल से श्रीपुर मोटर मार्ग का निर्माण परियोजना हेतु 2.975 है0 वनभूमि लो0नि0वि0 थत्यूड प्रयोक्ता ऐजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया ग्रामसभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है । उक्त भूमि का सम्बन्धित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

सम्बन्धित उप प्रभागीय वनाधिकारी मसूरी द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धि नियम 2008 के प्रविधान को स्पष्ट करते हुए

Photocopy Attested

सहायक अभियन्ता
अ० खण्ड लो०नि०वि०
थत्यूड (टि०ग०)

जानकारी करो माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में ग्रामसभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा भी अनापत्ति जारी की जा सकती है। बैठक में सर्वसम्मति से तहसील धनोल्टी परिक्षेत्र के अन्तर्गत भरवाकाटल से श्रीपुर मोटर मार्ग का निर्माण परियोजना के निर्माण हेतु 2.975 है0 वनभूमि लो0नि0वि0 थत्यूड़ प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम अधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी ।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील धनोल्टी
जनपद टिहरी गढवाल।

प्रतिलिपि :- जिलाधिकारी, नई टिहरी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील धनोल्टी
जनपद टिहरी गढवाल।

मीना देवी
श्रीमती मीना देवी पंवार
... पंचायत भरवाकाटल
... श्रीपुर टि०ग०

उप प्रभागीय वनाधिकारी
मसूरी वन प्रभाग

Photocopy Attested

सहायक अभियन्ता
... खण्ड लो०नि०वि०
थत्यूड़ (टि०ग०)

(56)A

परियोजना का नाम :— जनपद टिहरी गढ़वाल के जौनपुर विकास खण्ड के अन्तर्गत आर0के0के0 मोटर मार्ग से भरवाकाटल—श्रीपुर मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव। (लम्बाई 5.00 किमी0, वन पंचायत भूमि 1.662 है0 तथा आरक्षित वन भूमि 1.313 है0, कुल प्रस्तावित भूमि क्षेत्रफल 2.975 है0)

जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र

जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड जौनपुर में राज्य योजना के अन्तर्गत स्वीकृत आर0के0के0 मोटर मार्ग से भरवाकाटल—श्रीपुर मोटर मार्ग नव निर्माण हेतु 2.975 है0 वन भूमि (वन पंचायत भूमि 1.662 है0 व आरक्षित वन भूमि 1.313 है0) के गैर वानिकी कार्यों हेतु लो0नि0वि0, थत्यूड़ प्रयोक्ता एजेन्सी को प्रत्यावर्तित किये जाने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। दिनांक .... के द्वारा सड़क निर्माण, नहर निर्माण, पारेषण लाईन, ओ0एफ0सी0 के बिल, पाईप लाईन बिछाने आदि प्रयोजनों की भारत सरकार द्वारा वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों से मुक्त कर दिया गया है। भारत सरकार के उक्त आदेश के क्रम में प्रमाणित किया जाता है कि आवेदित भूमि परियोजना विशेष के निर्माण हेतु आवेदित वन व कृषि भूमि पर आदिकालीन जनजाति समूह (Primitive Tribal Group) व पूर्व कृषि समुदाय (Primitive Agricultural Tribal Groups) प्रभावित नहीं हो रहे हैं।

कनिष्ठ अभि0 अ0ख0, लो0नि0वि0, थत्यूड़	सहायक अभि0 अ0ख0,लो0नि0वि0, थत्यूड़	अधिशासी अभियन्ता अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0, थत्यूड़ (टिहरी गढ़वाल)	तहसीलदार	उपजिलाधिकारी धनौल्टी

जिलाधिकारी
नई टिहरी।

Scanned with CamScanner

FORME -I

(For projects other than linear project)

Government of Uttrakhand

No. -----

Office of District Collector Tehri Garhwal

Date 7-6-2016.

TO WHO WSOEVER IT MAY CONCERN

In complinance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of india lellter No. 11-9/98-FC(pt) dated 3 August 2009 wherein the MoEF issuedguidelines of submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of right under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Fights) Act, 2006 (FRA; for short) on the forest land proposed to be diverted in favour of Excutive Engineer Ty. Division P.W.D Thatyur T.G. (name of user agency) for construction of **Bharwakatal to Shripur Motor road** Motor Road (purpose for diversion of forest land) in Tehri Garhwal district falls, within jurisdiction of **Bharwakatal, Shripur** Village(s) in Dhanolty, Tehsils.

It is further certified that :

(a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA had been carried out for the entire **2.975 hectares** of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consulations and meeting of the Forest Rights committee(s), gram Sabha(s) Sub -- Division leavel committee are enclosed as annexure ------ to ---- annexure------

(b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Grams Sabhas have given their consent to it;

(c) The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal Group and preagricultural communities.

Eucl: As above

(इन्दुधर बौड़ाई)

जिलाधिकारी

District Collector Chairman

टिहरी गढ़वाल

District Tehri Garhwal

New Tehri

Photocopy Attested

Scanned with CamScanner

It is Further certified that Minutes fo mee **Bharwakatal to Shripur Motor** road scheme regarding FRA is as following.

Sl. No.		Remark
(a)	The complete process for identification and settlement of rights under the FRA had been carried out for the entire 2.975 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of record of all consultations and meeting of the forest Right committee (S) Gram Sabha sub Division Level committee (S) and District Level Committee are enclosed as annexure.	Yes copy of records attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers.
(b)	The Diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram Sabha have given consent to it.	Yes copy of records attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers. No objection cerfificate concerned village regarding construction of aforesaid Motor road is attached.
(c)	The proposal does not involve recognized rights of primitive tribal groups and pre-agricultural communities.	Yes copy of records attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers.

समाज कल्याण अधिकारी
टिहरी गढवाल।

प्रभागीय वनाधिकारी
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी

जिलाधिकारी
टिहरी गढ़वाल।

Photocopy Attested

Scanned with CamScanner

OFFICE OF DISTRICT COLLECTOR
DISTRICT TEHRI GARHWAL UTTARAKHAND

PROCEEDING OF THE MEETING OF THE DISTRICT LEVEL COMMITTEE CONSTITUTED UNDER SCHEDULE TRIBES & OTHER TRADITIONAL FORES DWELLERS (RECOGNITION OF RIGHTS) ACT (FRA) 2006

A meeting of the district level committee Tehri Garhwal district constituted under FRA 2006 was held under the chairmanship of Mrs. Jyoti Neeraj Khairwal I.A.S. District collector Tehri Garhwal at New Tehri in which the applicant claiming rights in Jaunpur Block area measuring 2.975 Hectare for the construction of Bharwakatal To Shripur Motor Road in Tehsil Dhanaulti of forest land under FRA 2006 of the following application duly processed and recommended by the sub Division were discussed to consider the same for admission by the District Level Committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions no objection/claims were found to have been made and hence District Level Committee recommended the above case for diversion for the said purpose.

Place - Tehri

(सुन्दरधर बौजाई)
District Collector (Chairman)
District Tehri Garhwal
जिलाधिकारी
टिहरी गढ़वाल
New Tehri

Photocopy Attested

सहायक अभियन्ता
अ० खण्ड लो०नि०वि०
घनसाली (टि०ग०)

Scanned with CamScanner